

**कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर  
(शासकीय स्वशासी संस्था)**

कार्यालय दूरभाष नंबर :- 0731-2527383, 2527679

ईमेल :- dean.ind@mp.gov.in

क्र. 951 स्था/एन.एच.एम./2023

इन्दौर, दिनांक 09/06/2023

**--: आदेश :-**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एन.एच.एम./एच.आर/2020/9867 दिनांक 28.07.2020 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल के पत्र क्र/एनएचएम/एच.आर/2023/4496 भोपाल दिनांक 09.06.2023 द्वारा प्राप्त अनुमोदन प्राप्ति उपरांत निम्नलिखित की पदस्थापना चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के अंतर्गत चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय इन्दौर में नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाईयों एस.एन.सी.यू. में पदस्थ करते हुये एन.एच.एम. की शर्तों के अधीन संविदा आधार पर निर्धारित मानदेय में की जाती है :-

क्र.	संचालित इकाई	चयनित अभ्यर्थियों के नाम	पद का नाम	उम्मीदवार श्रेणी	चयनित श्रेणी
1.	SNCU	KETKI VERMA	स्टॉफ नर्स	SC	UR-1
2.	SNCU	JYOTI PATEL	स्टॉफ नर्स	OBC	UR-2
3.	SNCU	VERZINA RAJAWAT	स्टॉफ नर्स	ST	UR-3
4.	SNCU	ROSHNI NAMDEV	स्टॉफ नर्स	OBC	UR-4
5.	SNCU	SHRUTI ANIL NAYKODE	स्टॉफ नर्स	OBC	UR-5
6.	SNCU	HEMLATA SAHUKAR	स्टॉफ नर्स	SC	UR-6
7.	SNCU	BHAWANA VARMA	स्टॉफ नर्स	OBC	UR-7
8.	SNCU	KU. VARSHA ATHOLE	स्टॉफ नर्स	SC	UR-8
9.	SNCU	RUBINA BANO	स्टॉफ नर्स	OBC	UR-9
10.	SNCU	ANITA PATANKAR	स्टॉफ नर्स	SC	SC-1
11.	SNCU	PANKAJ MALVIYA	स्टॉफ नर्स	SC	SC-2
12.	SNCU	DIVYA TEGOR	स्टॉफ नर्स	SC	SC-3
13.	SNCU	SANTOSH KUMAR AHIRWAR	स्टॉफ नर्स	SC	SC-4
14.	SNCU	ANJALI PALL	स्टॉफ नर्स	OBC	OBC-1
15.	SNCU	INDRA PRAJAPATI	स्टॉफ नर्स	OBC	OBC-2
16.	SNCU	PRAMILA PATEL	स्टॉफ नर्स	OBC	OBC-3
17.	SNCU	AMITA SANODIYA	स्टॉफ नर्स	OBC	OBC-4
18.	SNCU	NIKITA SAHU	स्टॉफ नर्स	OBC	OBC-5
19.	SNCU	NEELU PANWAR	स्टॉफ नर्स	OBC	OBC-6
20.	SNCU	KU. SHALU OJHA	स्टॉफ नर्स	OBC	OBC-7
21.	SNCU	DIPANJALI RAJ	स्टॉफ नर्स	OBC	OBC-8
22.	SNCU	GOUTAM MAIDA	स्टॉफ नर्स	ST	ST-1
23.	SNCU	PUSHPA SINGH	स्टॉफ नर्स	ST	ST-2
24.	SNCU	SUSHILA SALAME	स्टॉफ नर्स	ST	ST-3
25.	SNCU	NAMRATA SHINGORIA	स्टॉफ नर्स	ST	ST-4
26.	SNCU	SHINE EMMANUEL	स्टॉफ नर्स	ST	ST-5
27.	SNCU	JYOTI KUMRE	स्टॉफ नर्स	ST	ST-6
28.	SNCU	SANGEETA SINGH SOLANKI	स्टॉफ नर्स	EWS	EWS-1
29.	SNCU	DEEPTI BALA KHODE	स्टॉफ नर्स	EWS	EWS-2
30.	SNCU	ALOK KUMAR SUROTHIYA	स्टॉफ नर्स	EWS	EWS-3

**संविदा सेवा शर्तें निम्नानुसार रहेगी :-**

- संविदा अवधि आदेश जारी होने की दिनांक से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए रहेगी। समिति अपनी आवश्यकतानुसार एवं विवेक अनुसार नई अवधि के लिये नया अनुबंध कर सकेगी।
- संविदा में नियुक्त उम्मीदवार राज्य शासन के कर्मचारियों को लागू नियमों के अनुसार किसी भी प्रकार के भत्तों का हकदार नहीं होगा।
- संविदा में नियुक्त उम्मीदवार को संविदा राशि का भुगतान उन दिनों के लिए नहीं किया जायेगा, जिनमें वह कर्तव्य पर अनुपस्थित है।
- किसी आपराधिक कार्यकलाप में लिप्त होने की दशा में नियोजक को यह अधिकार है कि वह ऐसे संविदा में नियुक्त उम्मीदवार की संविदा सेवा तत्काल समाप्त कर दे।
- चयनित अभ्यर्थी, संविदा आदेश प्राप्त होने पर तत्काल प्राधिकारी के साथ 500 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध निष्पादित करेगा। अनुबंध के निष्पादन पर होने वाले व्यय चयनित अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी, उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से, संविदा सेवा में माना जाएगा।
- संविदा में नियुक्त उम्मीदवार संविदा के आधार पर चिकित्सा सेवायें प्रदान करेंगे। समिति एवं संविदा में नियुक्त उम्मीदवार के मध्य नियोक्ता-कर्मचारी के संबंध नहीं होंगे। संविदा में नियुक्त उम्मीदवार निर्धारित सेवायें प्रदान करने के बदले में निर्धारित एक मुश्त राशि प्राप्त करेंगे। किसी भी स्थिति में उन्हें शासकीय सेवा की पात्रता हासिल नहीं होगी।

**कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता**  
**शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर**  
**(शासकीय स्वशासी संस्था)**

कार्यालय दूरभाष नंबर :- 0731-2527383, 2527679

ईमेल :- dean.ind@mp.gov.in

- 7 संविदा में नियुक्त उम्मीदवार के लिए, यह अनिवार्य होगा कि वह संविदा आदेश के जारी होने के 15 दिन के भीतर, संविदा पदस्थापना के स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण करें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने की दशा में, संविदा स्वतः रद्द हो जाएगी। संविदा में नियुक्त उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की सूचना, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजी जाएगी।
- 8 संविदा में नियुक्त उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जाएगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में, नियुक्तकर्ता प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति, बिना कोई कारण बतायें तुरन्त रद्द कर दी जाएगी।
- 9 प्रथम मास के लिए संविदा राशि प्राप्त करने से पूर्व, संविदा में नियुक्त उम्मीदवार, स्वयं अपने व्यय पर, जिला चिकित्सा बोर्ड में चिकित्सीय परीक्षण करावाएगा। इस चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाए जाने पर ही संविदा वैध होगी।
- 10 संविदा में नियुक्त उम्मीदवार की संविदा केवल किसी विशिष्ट स्थान के लिये होगी। किन्हीं भी परिस्थितियों में उसका स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा।
- 11 संविदा में नियुक्त उम्मीदवार को एक अवधि के लिए केवल 15 दिवस आकरिमक अवकाश की पात्रता होगी। महिला संविदा में नियुक्त उम्मीदवार जिसकी दो से कम जीवित संतान हो, अधिकतम नव्वे दिनों की कालावधि के प्रसूति अवकाश की हकदार होंगी। उपरोक्त अवकाश स्वीकृत करने की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता को होंगी।
- 12 यदि संविदा में नियुक्त उम्मीदवार बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह से अधिक के लिये अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा, ऐसी अनुपस्थिति की तारीख से स्वतः समाप्त हुई मानी जाएगी।
- 13 संविदा में नियुक्त उम्मीदवार उसकी संविदा कालावधि के लिये किन्हीं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसी कालावधि के लिये कोई बोनस आदि देय नहीं होगा।
- 14 संविदा में नियुक्त उम्मीदवार शासकीय सेवा में नियमितीकरण के लिये हकदार नहीं होगा।
- 15 संविदा में नियुक्त उम्मीदवार यदि संविदा सेवा से त्याग पत्र देना चाहे तो उसे 01 माह की पूर्व सूचना अथवा 01माह के मानदेय के समतुल्य राशि जमा करनी होगी। यदि चिकित्सालय प्रशासन या विभागाध्यक्ष द्वारा किसी संविदा में नियुक्त उम्मीदवार को सेवा से पृथक किया जाना हो तो उसके लिये 01 माह की पूर्व सूचना अथवा 01 माह के समतुल्य राशि का भुगतान किया जायेगा।
- 16 कर्तव्य का पालन न करने अथवा निर्धारित लक्ष्य हासिल न करने अथवा उपरोक्त शर्तों का पालन न करने अथवा किसी कदाचार या किसी आपराधिक कार्यकलाप में लिप्त होने की दशा में नियोजक को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे संविदा में नियुक्त उम्मीदवार की संविदा सेवा समाप्त कर दें।
- 17 संबंधित संविदा में नियुक्त उम्मीदवार को प्रतिमाह उनके किये गये कार्यों का ब्यौरा निर्धारित प्रपत्र पर अपने कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा।

पृ.क्र./ 942-48 / एन.एच.एम./2022  
/2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा म.प्र.भोपाल।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, 8, अरेरा हिल्स जेलरोड भोपाल की ओर उनके पत्र क/एनएचएम/एच. आर/2023/4496 भोपाल दिनांक 09.06.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
4. अधीक्षक चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय इन्दौर।
5. डॉ. ब्रजेश लाहोटी, प्राध्यापक पिडियाट्रिक सर्जरी ( नोडल अधिकारी एन.एच.एम.)।
6. लेखा शाखा स्थानीय कार्यालय इन्दौर।
7. संबंधित की ओर पालनार्थ।

(डॉ. संजय दीक्षित)  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
शास.स्व.म.गॉ.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर  
इन्दौर, दिनांक 09/06/23

(डॉ. संजय दीक्षित)  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
शास.स्व.म.गॉ.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर